

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील : 26/2020

दायर दिनांक : 21.12.2020

निर्णय दिनांक : 05.04.2021

—:अनवान:—

श्री भाना पिता गल्ला भील उम्र वयस्क पेशा मजदुरी निवासी आईडाणा तहसील
आमेट जिला राजसमन्द

— अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द
2. उप तहसीलदार, सरदारगढ, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेंटगण

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार, सरदारगढ, तहसील आमेट प्रकरण संख्या
188/2020 नाजायाज कब्जा दिनांक 30.09.2020



उपस्थित :-

- 1- श्री डूंगरसिंह कर्णावट, अधिवक्ता, अपीलांत
- 2- श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राज0अधि0, रेस्पोंडेन्ट

—:निर्णय:—

अपीलार्थी ने उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा दिनांक 30.09.2020 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.12.2020 को अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 मय धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

ग्राम आईडाणों, पटवार हल्का आईडाणा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 190 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना मानकर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को सत्य मानते हुए उक्त आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्त का कब्जा 25 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है। जितना रकबा नाजायज कब्जे का बताया गया है उतने पर अपीलान्त का कब्जा भी नहीं है। अपीलान्त का कब्जा मात्र 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर है। और वहाँ पर उसका मकान बना हुआ है वह और उसका परिवार उसी मकान में रहते हैं। अगर अपीलार्थी आदेश के अर्न्तगत उसे बेदखल कर दिया तो उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं रहेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों से स्पष्ट किया गया है कि बिलानाम जमीन पर जिन लोगों के पुराने मकान बने हुए हैं। उन्हें नियमित किया जाये यदि इसके लिए शुल्क भी लिया जाना आवश्यक हो तो शुल्क भी लिया जाये। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उन आदेशों की पालना नहीं की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई व रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलांत के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि ग्राम आईडाणों, पटवार हल्का आईडाणा,

तहसील आमेत जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 190 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होना मानकर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को सत्य मानते हुए उक्त आदेश पारित किया हैं। जबकि अपीलान्ट का कब्जा 25 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा हैं। जितना रकबा नाजायज कब्जे का बताया गया है उतने पर अपीलान्ट का कब्जा भी नहीं हैं। अपीलान्ट का कब्जा मात्र 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर हैं। और वहाँ पर उसका मकान बना हुआ है वह और उसका परिवार उसी मकान में रहते हैं। अगर अपीलाधीन आदेश के अर्न्तगत उसे बेदखल कर दिया तो उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं रहेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों से स्पष्ट किया गया है कि बिलानाम जमीन पर जिन लोगो के पुराने मकान बने हुए हैं। उन्हे नियमित किया जाये यदि इसके लिए शुल्क भी लिया जाना आवश्यक हो तो शुल्क भी लिया जाये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन आदेशों की पालना नहीं की हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम आईडाणा तहसील आमेत के आराजी नं० 190 किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नियमन योग्य होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ के द्वारा दिनांक 30.09.2020 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार, सरदारगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से 01 माह में अपीलान्ट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति उप तहसीलदार, सरदारगढ को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

